जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(कल्याण शाखा)

—: अति अल्पकालीन निविदा :—

वित्तीय वर्ष 2017—18 में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, उपरपावडा घाटशिला, सबरनगर पोटका, अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, सिंहपुरा एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, अंधारिया चाकुलिया में खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक—14.06.2017 के अपराहन 01:00 बजे तक जिला कल्याण कार्यालय, (कमरा नं0—जी—07) पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में आमंत्रित किया जाता है ।

निविदा उसी दिन दिनांक—14.06.2017 को अपराहन 03:00 बजे परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0—सह—अध्यक्ष, जिला क्रय समिति, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है ।

7/6/17

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

7/6/17

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(कल्याण शाखा)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की सूची :–

(क) भोजन एवं जलपान मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	उसना चावल उत्तम प्रति कि0ग्रा0	29.	सूची प्रति कि0ग्रा0
2.	उसना चावल मध्यम प्रति कि0ग्रा0	30.	मूंगफली दाना प्रति कि0ग्रा0
3.	अरवा चावल (खीर हेतु) प्रति कि0ग्रा0	31.	टाटा नमक प्रति कि0ग्रा0
4.	मसूर दाल प्रति कि0ग्रा0	32.	पापड़ (200 ग्राम पैकेट)
5.	मूंगदाल प्रति कि0ग्रा0	33.	काजू प्रति कि0ग्रा0
6.	अरहर दाल प्रति कि0ग्रा0	34.	गरी प्रति कि0ग्रा0
7.	चनादाल प्रति कि0ग्रा0	35.	किशमिस प्रति कि0ग्रा0
8.	चना प्रति कि0ग्रा0	36.	चना बेसन प्रति कि0ग्रा0
9.	चूड़ा प्रति कि0ग्रा0	37.	मैदा प्रति कि0ग्रा0
10.	चीनी प्रति कि0ग्रा0	38.	आटा प्रति कि0ग्रा0
11.	गुड़ प्रति कि0ग्रा0	38.	खस्सी मांस प्रति कि0ग्रा0
12.	रिफाईन तेल (फॉर्चुन) प्रति लीटर	39.	मुर्गा मांस देशी प्रति कि0ग्रा0
13.	सरसों तेल ब्राण्डेड सहित प्रति लीटर	40.	मुर्गा मांस बॉयलर प्रति कि0ग्रा0
14.	सुधा दूध प्रति लीटर	41.	आलू प्रति कि0ग्रा0
15.	जलावन लकड़ी प्रति कि0ग्रा0	42.	प्याज प्रति कि0ग्रा0
16.	सोया बड़ली (न्यूड्रिला) प्रति पैकेट	43.	अदरक प्रति कि0ग्रा0
17.	हल्दी गोटा प्रति कि0ग्रा0	44.	लहसुन प्रति कि0ग्रा0
18.	धनिया गोटा प्रति कि0ग्रा0	45.	अंडा प्रति नग
19.	लाल मिर्च गोटा प्रति कि0ग्रा0	46.	जीरा पाउडर प्रति कि0ग्रा0
20.	गोल मिर्च गोटा प्रति कि0ग्रा0	47.	धनिया पाउडर प्रति कि0ग्रा0
21.	जीरा गोटा प्रति कि0ग्रा0	48.	हल्दी पाउडर प्रति कि0ग्रा0
22.	गरम मसाला प्रति कि0ग्रा0	49.	मिर्चा पाउडर प्रति कि0ग्रा0
23.	ब्रेड प्रति पैकेट	50.	बटर प्रति कि0ग्रा0
24.	हॉरलिक्स प्रति कि0ग्रा0	51.	दलिया प्रति कि0ग्रा0
25.	मटर प्रति कि0ग्रा0	52.	उडद की धुली दाल प्रति कि0ग्रा0
26.	फूड कलर प्रति पैकेट	53.	उडद दाल प्रति कि0ग्रा0
27.	सांभर मसाला प्रति कि0ग्रा0	54.	बेकिंग सोडा प्रति कि0ग्रा0
28.	पनीर मसाला प्रति कि0ग्रा0	55.	छोला मसाला प्रति कि0ग्रा0

(ख) हरी सब्जी मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	फुलगोभी प्रति कि0ग्रा0	13.	कोहड़ा प्रति कि0ग्रा0
2.	बंधागोभी प्रति कि0ग्रा0	14.	कद्दु प्रति कि0ग्रा0
3.	परवल प्रति कि0ग्रा0	15.	खेखसा प्रति कि0ग्रा0
4.	बरबटी प्रति कि0ग्रा0	16.	सीम प्रति कि0ग्रा0
5.	बैगन प्रति कि0ग्रा0	17.	फ्रेंचबीन प्रति कि0ग्रा0
6.	भिंडी प्रति कि0ग्रा0	18.	टमाटर प्रति कि0ग्रा0
7.	करेला प्रति कि0ग्रा0	19.	मूली प्रति कि0ग्रा0
8.	कच्चा पपीता प्रति कि0ग्रा0	20.	पालक साग प्रति कि0ग्रा0
9.	हरा मिर्च प्रति कि0ग्रा0	21.	गेन्हरी/लाल साग प्रति कि0ग्रा0
10.	कुदरी प्रति कि0ग्रा0	22.	सेव प्रति कि0ग्रा0

11. झिंगली प्रति कि0ग्रा0
12. पनीर प्रति कि0ग्रा0
23. केला पका हुआ (सिंगापुरी) प्रति दर्जन
24. बीट प्रति कि0ग्रा0

निविदा की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले के वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। प्रत्येक निविदादाता को विक्री कर विभाग में निबंधन का अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र देना होगा ।
2. निविदा के साथ निविदादाताओं को 2016–17 का आयकर रिटर्न, टिन नं0, पैन कार्ड एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र, मापतौल विभाग का निबंधन की अभिप्रमाणित छायाप्रति, एवं जी0एस0टी0 इनरॉलमेंट प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम एक करोड रूपये होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण हेतु विगत वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। एवं VAT का अद्यतन मासिक प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाताओं को उद्योग विभाग से निबंधित होने का प्रमाण– पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 4,00,000/– (चार लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा । बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6 खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति के लिए स्वास्थय विभाग द्वारा निर्गत Food Safety License की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को उपायुक्त स्तर का अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 24 घंटे के अंदर 100 रू0 का नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा के सामग्रियों का दर सूची अनुसार सभी कर सहित अंकित करेंगे । किसी प्रकार का कटिंग या ओवर राईटिंग होने पर इस पर विचार नहीं किया जायेगा । सामग्री का एक ही दर अंकित करना होगा ।
10. दर निर्धारण के समय अच्छे गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न सामग्री का नमूना 04 पैकेट में लाना अनिवार्य होगा। उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री की प्राथमिकता दी जाएगी। जिला कृषि बाजार समिति द्वारा निर्धारित सामग्रियों का थोक मूल्य का न्यूनतम दर ही मान्य होगा ।
11. सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पहुंचाकर करनी होगी ।
12. स्वीकृत निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी । आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है । भुगतान के विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे ।
13. इस आशय का शपथ–पत्र देंगे कि किसी जिला में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है तथा उनपर तथा फर्म पर किसी भी जिला में प्राथमिकी दर्ज नहीं है ।
14. पूर्वी सिंहभूम जिला से बाहर के निविदादाता शपथ–पत्र के द्वारा इस जिला में स्थायी व्यवसायिक कार्यालय संबंधी विवरणी, कर्मचारी आदि का नाम देना अनिवार्य होगा ।
15. निविदा में स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी ।
16. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामा करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे । ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नाम दर्ज कर दिया जायेगा तथा अग्रधन जब्त की जायेगी ।
17. आपूर्ति आदेश वित्तीय वर्ष 2017–18 तक के लिए मान्य होगा ।
18. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा ।
19. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।
20. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति विद्यालय तक पहुंचाकर करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय एवं अन्य किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगा ।
21. निविदादाता को निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड जिला क्रय समिति की बैठक में खोला जाएगा ।
22. निविदा खोलते समय वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है ।

7/6/17

जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

7/6/17

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।